न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 86 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. जेती पुत्र धोकलाराम पत्नी रामाराम जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम1.भगवानाराम पुत्र केसाराम (तथाकथित धोकलाराम) जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी। 2.सोनाराम पुत्र जांवताराम 3.मेघाराम पुत्र हरीराम 4.मुकेश पुत्र हरीराम 5.मूली बेवा हरीराम 6.भैराराम पुत्र जांवताराम 7.उदाराम पुत्र जांवताराम 8.बाबू पुत्र जांवताराम 9.खीवणी बेवा जांवताराम 10.जगमाल पुत्र केसाराम 11.सोनाराम पुत्र केसाराम 12.हरीराम पुत्र केसाराम 13.सदराम पुत्र केसाराम 14.लिछमणा पुत्र सांवताराम 15.भैराराम पुत्र सांवताराम 16.मीरां पत्नी भगवानाराम जातियान विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी 17.गवरी पत्नी रामाराम जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी। 18.मैनेजर, एस बी आई बैंक शाखा गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 60 / 2007 बअनवान भगवाना वगैरा बनाम धोंकला का. मु. में पारित आदेश दिनांक 22. 05.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व आवेदन में दिनांक 30.06. 2007 को अपीलांट के विरूद्ध स्टे दिया तब दिनांक 13.08.2007 को अपीलांट जो रेकर्डेड खातेदार है तथा उसके पिता धोकला जो अपीलांट को भूमि बेची थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजस्व आवेदन का जबाव पेश कर रेकर्डेड खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के विरूद्ध स्टे नहीं दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्टे खारजि कर दिया। रेस्पोडेंट भगवाना ने अपील पेश की तब न्यायालय हाजा ने प्रकरण को रिमाण्ड कर दोनों पक्षों को सुनकर आदेश करने को कहा। पूर्व में दिनांक 23.08.2012 को जारी एकतरफा स्टे को दिनांक 22.05.2013 को न्यायालय समय से पूर्व ही कन्फर्म कर दिया गया जबकि अपीलीय न्यायालय का स्पष्ट निर्देश था कि दोनों पक्षों को सुना जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया। प्रार्थी इस आलोच्य आदेश की आड़ में हमेशा पुलिस बुलाकर सभी खातेदारों को परेशान करवाता है जबकि इस फर्जी के अलावा कोई स्टे नहीं चाहता। क्योंकि इस खातेदारों ने भूमि 1/10–1/10 किस्सा क्रय की तो क्रेता को अपना 1/10 हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रार्थी के अस्तित्व में होने का एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत एकपक्षीय होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि भगवाना पुत्र केसा का ही अस्तित्व है। भगवाना पुत्र धोंकला बनकर ही भगवाना पुत्र केसा बनकर आया था।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन में दिनांक 30.06.2007 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय स्टे दिया तब दिनांक 13.08.2007 को अपीलांट जो रेकर्डेड खातेदार है तथा उसके पिता धोकला जो अपीलांट को भूमि बेची थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजस्व आवेदन का जबाव पेश कर रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्टे नहीं दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्टे खारजि कर दिया। रेस्पोडेंट भगवाना ने अपील पेश की तब न्यायालय हाजा ने प्रकरण को रिमाण्ड कर दोनों पक्षों को सुनकर आदेश करने को कहा। पूर्व में दिनांक 23.08.2012 को जारी एकतरफा स्टे को दिनांक 22.05.2013 को न्यायालय समय से पूर्व ही कन्फर्म कर दिया गया जबकि अपीलीय न्यायालय का स्पष्ट निर्देश था कि दोनों पक्षों को सुना जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आलोच्य आदेश पारित किया। प्रार्थी इस आलोच्य आदेश की आड़ में हमेशा पुलिस बुलाकर सभी खातेदारों को परेशान करवाता है जबकि इस फर्जी के अलावा कोई स्टे नहीं चाहता। क्योंकि इस खातेदारों ने भूमि 1/10–1/10 किस्सा क्रय की तो क्रेता को अपना 1/10 हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रार्थी के अस्तित्व में होने का एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत एकपक्षीय होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 15 ने दुर्भिसंधि कर वादग्रस्त आराजी का अपास में क्रय विक्रय विधि के प्रतिकूल किया है। अपीलांट अजनबी क्रेता है तथा उस विक्रय विलेख के आधार पर जबरन आराजी में दाखिल होकर कब्जा करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय है। अरसा 15 दिन पूर्व उत्तरदातागण द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगा तब अपीलांट के अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश की जानकारी प्राप्त कर तत्परता से तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि निर्देश यह था कि "प्रार्थी को विप्रार्थी संया 01 से 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.08.2007 की प्रति देते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। तदुपरांत गुणावगुण के आधार पर अपना स्वतंत्र निर्णय पारित करे।"

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 23.08.2012 के द्वारा प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर अंतरिम रूप से पूर्व का जारी स्थगन आदेश बहाल किया जिसे दिनांक 22.05.2013 को जरिये आदेश मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट(Confirm) करते हुए इसे अंतिम रूप से निपटा दिया। आदेशिका दिनांक 23.08.2012 से 22.05.2013 के मध्य विप्रार्थी संख्या 06 व 07 के नोटिस मुताबिक आदेश पेश होकर जारी होना तथा उन पर तामीली होना नहीं पाया गया। न ही इस दौरान न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना होना पाया गया लिहाजा यह आदेश दिनांक 22.05.2013 मनमाना, अवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 60/2007 बअनवान भगवाना वगैरा बनाम धोंकला के का. मु. में पारित आदेश दिनांक 22.05.2013 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner